



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24916

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4422/2026

रामराज सहकारी आवास समिति लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: प्रभाकर द्विवेदी, विजयकांत शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील मवाना, जिला मेरठ को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के तहत दायर दिनांक 16.01.2025 के आदेश संख्या 1853 का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला निचली अदालत में लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील मवाना, जिला मेरठ को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आवेदन पर विधि के अनुसार शीघ्रता से और अधिमानतः निचली अदालत के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने के भीतर निर्णय लें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"